

सेवामें इन्द्राज दुरुस्ती (देखिये धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

गंगापूर सिटी

कॉडी/रामेश
07-11-25

विषय: जमाबन्दी स्थायी वर्ष 2018 ग्राम गंगापूर के खाता संख्या 89 में इन्द्राज दुरुस्ती बाबत ।

महोदय प्रार्थी: - कुलाश पित्त मवल्लभ जाति बैरवा 6. नवपुर

मुताबिक रिकार्ड जमाबन्दी स्थायी वर्ष 2018 ग्राम गंगापूर के खाता संख्या 89 में प्रार्थी के पिता, माता का नाम/जाति/हिस्सा चमार अंकित है। अंकित प्रविष्टि के स्थान पर प्रार्थी पिता, माता की नाम/जाति/हिस्सा बैरवा शुद्ध करवाना चाहता है। हमारे द्वारा इसकी जांच कर ली गई है, मुताबिक संलग्न दस्तावेज व शपथपत्र गवाहान के आधार पर प्रार्थी की पिता, माता का नाम/जाति/हिस्सा बैरवा दर्ज किया जाना उचित है।

हस्ताक्षर भू.अभि. निरीक्षक

हस्ताक्षर पटवारी
गंगापूर सिटी

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.) गंगापूर सिटी

क्रमांक 5243

दिनांक 6-11-25

मूल ही श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय गंगापूर सिटी को प्रेषित कर निवेदन है कि मुताबिक रिकार्ड प्रविष्टि जाति चमार दर्ज है। जांच रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.एवं शपथपत्र गवाहान के आधार पर इसके स्थान पर जाति बैरवा दुरुस्त करने की अभिशंषा की जाती है।

तहसीलदार(भू.अ.)
गंगापूर सिटी (संभा०)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर

दिनांक

क्रमांक

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थनापत्र एवं जांच रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.एवं शपथपत्र गवाहान व तहसीलदार गंगापूर सिटी की अभिशंषा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अनुसरण में ग्राम सहजपुर तहसील गंगापूर सिटी जिला संभा की जमाबन्दी स्थायी वर्ष 2018 में खाता संख्या 89 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि जाति चमार के स्थान पर जाति बैरवा शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद के आदेश प्रदान किये जाते हैं।

उप जिला कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
गंगापूर सिटी (राज०)

3104
7/11/25

7136
17-11-25
5243

5243
2-25
543